

वाद का प्रकार— बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच एवं कार्यवाई से संबंधित।

झारखण्ड सरकार के ज्ञापनक-2074/रा० दिनांक-13.05.2016 रुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा०ग०गेति-119/85/2308/रा०, दिनांक-03.09.1985 एवं सह-पठेत राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914/रा०, दिनांक-09.12.1998 में निर्दित निदेश के अनुपालन में गैरगजरुआ खास भूमि की कायम की गयी जामवंदियों को जांच प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अ०ग०द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :—

मौजा—तिलतोड़ी, थाना—निम्नसिंहपुर

रक्कड़ की भूमि जो गैरगजरुआ खास, अनावाद विहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमावंदी उस मौजा के पंजी-॥ के जिल्द संख्या—३२। के पृष्ठ संख्या—, पर जमावंदी रैयत अतिषाला दाढ़ी के नाम से कोर्टी है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरिक्षक द्वारा जांचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जामवंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरिक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमावंदी बिना सकाम प्राधिकार के आदेश के/ अवैध बंदोबरती के आधार पर/ अवैध कोङ्कर बंदोबरती के अधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के अधार पर/ सादा हुयुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका संदेश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सूजित जमावंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका विहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव, रांचित जमावंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित गूल दरस्तावेजों/ निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको बगरण-पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमावंदी को अवैध मानते हुए इसे विहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत राक्षम प्राधिकार को रद करने हतु अनुशंसित किया जाय।

अग्रिम दिनांक— 31.8.16, को उपरक्षापित करें।

लेखापित एवं संशोधित


अंचल अधिकारी

अंचल अधिकारी
16

तिथि	पदाधिकारी आदेश	अभ्युक्ति
१०.१०.२८	अभिलेख उपरस्थापित। उपायुक्त, धनबाद द्वारा प्राप्त निदेश एवं विभागीय पत्र संख्या-1704/रा०, दिनांक-15.07.2020 के आलोक में पूर्ण समीक्षा कर अभिलेख का निस्तारण करने का निदेश प्राप्त है। उक्त निदेश के आलोक में पुनः जमबांदीदार रैयत/उनके वंशज को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक-...२५.११.२०....को उपरस्थापित करें।	
२८.११.२०	अभिलेख उपरस्थापित। नोटिस का तामिला प्राप्त। जमबांदीदार रैयत/उनके वंशज निर्धारित तिथि को उपरिथित/अनुपरिथित। इनके द्वारा अपने पक्ष में कोई भी राजस्व कागजात/साक्ष्य समर्पित नहीं कराया गया। इस संबंध में संबंधित राजस्व कर्मचारी को पुनः निदेश दिया जाता है कि एक पक्ष के अन्दर गहनतापूर्वक जाँच कर हाल खाता/प्लॉट का उल्लेख करते हुये अंचल निरीक्षक के माध्यम से चेक-लिस्ट एवं जाँच प्रतिवेदन समर्पित करें। अभिलेख दिनांक-...५.१२.२१....को उपरस्थापित करें।	
५.१२.२८	अभिलेख उपरस्थापित। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा अंचल निरीक्षक के माध्यम से विभागीय पत्रांक-1704/रा०, दिनांक-15.07.2020 में वर्णित तथ्यों के आलोक में जमबांदी नियमितीकरण/रद्द करने से संबंधित भूमि का स्थलीय एवं राजस्व कागजातों का मिलान कर जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि मौजा-..... <u>तिलंताडिमा</u> मौजा नं०-...५४..., साविक खाता सं०-...११६..., साविक प्लॉट सं०-....., रकवा-..... जिसका हाल खाता सं०-...३१५..., हाल	

प्लॉट सं0-..... रकवा-..... गत सर्वे खतियान
एवं हाल सर्वे खतियान के अनुसार गैर आबाद (अनाबाद विहार/झारखण्ड सरकार) खाते की भूमि है। जमाबंदी रैयत/वंशज के द्वारा दिनांक-01.01.1946 के पूर्व का कोई भी राजस्व कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। जमाबंदी रैयत/वंशज का उक्त भूमि पर वर्ष 1985 के पूर्व से दखलकार नहीं है। उक्त जमाबंदी को नियमितीकरण नहीं की जा सकती है। इस संबंध में तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक, अंचल निरीक्षक एवं अंचल अधिकारी के द्वारा पूर्व में उक्त जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा की गयी है। पुनः संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा अवैध जमाबंदीदार अवित्तबाला छ! के नाम से पंजी-II में कायम जमाबंदी संख्या-321 को रद्द करने की अनुशंसा की गयी है।

अतः राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा-4(h) के तहत पंजी-II में कायम जमाबंदी संख्या-321 को रद्द करने हेतु अनुशंसा के साथ अभिलेख मूल में भूमि सुधार उप समाहर्ता, धनबाद के माध्यम से अपर समाहर्ता, धनबाद को भेजें।



अंचल अधिकारी,
निरसा।